न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 65/2022 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2022/115

1. लालचन्द पुत्र चुन्नीराम जाति कुम्हार निवासी बीरमाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

—— अपीलान्ट

बनाम

1. हरीराम पुत्र दुलाराम जाति कुम्हार निवासी बीरमाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. कृष्णलाल पुत्र हरीराम जाति कुम्हार निवासी बीरमाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़।
4. उप पंजीयक महोदय सूरतगढ़।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री बालकिसन शर्मा —अभिभाषक अपीलांट
श्री करण सिंह तंवर एवं —अभिभाषक रेस्पोडेन्ट
श्री सोमप्रकाश शर्मा

निर्णय

दिनांक 05.01.2026

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 09.02.2022 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील मीमों अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादगत भूमि चक 3 बी.एन.एम. तहसील सूरतगढ़ पत्थर नंबर 14/31 के मुरब्बा नंवर 23 के किला नंवर 7 ता 14 व 18, 19 में 10.00 बीघा कमाण्ड भूमि का अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 27.12.1975 को आवंटन करवा लिया। अप्रार्थी सं. 1 के उक्त आवंटन के विरूद्ध अपीलांट ने राज. उपनिवेशन अधिनियम की धारा 11–14 के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र पेश किया। उक्त प्रार्थना को अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.02.2022 पारित करते हुए खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.02.2022 से व्यथित होकर अपीलांट ने न्यायालय

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष अपील पेश की, जो क्षेत्राधिकार परिवर्तन के कारण इस न्यायालय को हस्तांतरित हुई।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि रेस्पो. सं. 1 ने यह तथ्य जान—बुझकर की वह हरीराम पुत्र दुलाराम है इसके बावजूद उसने हरीराम पुत्र गणेशाराम बनकर आवंटन प्रार्थना पत्र दिनांक 08.09.1975 को पेश किया और दिनांक 27.12.1975 को वाके चक 3 बी.एन.एम. के खाता संख्या 14/31 के मुरब्बा नंबर 23 के किला नंबर 7 ता 14 व 18, 19 कुल 10.00 बीघा का आवंटन करवा लिया, जबकि अप्रार्थी सं. 1 दुलाराम का पुत्र था। चूंकि दुलाराम के कोई पुत्र अथवा पुत्र नहीं थी तो हरीराम ने दत्तक पुत्र की कहानी बनाई जाकर आवंटन करवाया जबकि ना तो पूर्व में हरीराम दतक पुत्र बना और ना ही अब वह दत्तक पुत्र है। यह केवल और केवल गणेशाराम की कृषि भूमि 30.00 बीघा को तीनों भाइयों हरीराम, मनफूल, रामकरण पिसरान दुलाराम में समायोजित की गई है। अपीलाधीन आदेश अभिलेख पर उपस्थित दस्तावेजी साक्ष्य को अनदेखा कर पारित किया गया है। वादगत भूमि हरीराम ने गणेशाराम का पुत्र बनकर अपने बेटे रेस्पो. सं. 2 कृष्णलाल के पक्ष मे उपहार कर दी। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश मौखिक एवं सुनी—सुनाई साक्ष्य के आधार पर दोषयुक्त पारित किया गया है। रेस्पो. सं. 1 जब दो—तीन वर्ष का था तो गोद चला गया था। आज 76 वर्ष में कभी भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जबकि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी, इंतकाल फोटोयुक्त चुनावी वोटर लिस्ट, पंचायत वोटर लिस्ट एवं स्वयं का फोटोयुक्त आधार कार्ड से स्पष्टतया साबित था कि हरीराम गणेशाराम का पुत्र ना होकर दुलाराम का पुत्र था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस के संबंध में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये हैं:

- आर.आर.टी. 2021(1) पेज 740
- आर.आर.टी. 2018—19(Supp.) पेज 338

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट पूर्व में ही प्राथमिक एतराज प्रस्तुत कर चुका है, जिसका जवाब अपीलांट ने नहीं दिया है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध धार 11—14 का शिकायती प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण जांच करके तथा विवेचन करके दिनांक 09.02.2022 को खारिज कर दिया। अपीलांट ने उक्त आदेश दिनांक 09.02.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील पेश की है। अपीलांट को उक्त अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने की लोकस स्टेण्डाई नहीं है। अप्रार्थी सं. 1 जब तीन

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

साल का था जो उसके काका गणेशाराम ने पारिवारिक परम्परा अनुसार हरीराम को गोद ले लिया क्योंकि गणेशाराम के कोई संताननहीं थी। लिखित गोदनाम तहरीर नहीं करवाया गया। अप्रार्थी सं. 1 ने कोई भी तथ्य छिपाकर आवंटन नहीं करवाया है। मूल आवंटन पत्रावली में तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा बाद जांच जरिये फोटो फार्म भूमिहीन व सद्भावी कांश्तकार होना अंकित किया है तथा पिता का नाम गणेशाराम अंकित है। आवंटन समस्त तथ्यों की जांच कर आवंटन समिति की राय से विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए किया गया है। आवंटी द्वारा किया गया ऐसा कृत्य या भूल जिससे उसकी आवंटन पात्रता प्रभावित नहीं होती है उस पर धारा 11–14 उपनिवेशन अधिनियम 1954 के प्रावधान लागू नहीं होते है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

4– हमने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तोवजों, न्यायिक दृष्टांत एवं अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.02.2022 पारित करते हुए प्रार्थी अपीलांट द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 11–14 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त अपीलाधीन आदेश सभी पक्षों को सुनकर व समस्त तथ्यों की जांच करने के उपरांत पूर्ण विवेचन करते हुए पारित किया गया है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में भी ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है, जिससे यह साबित हो कि अपीलाधीन वादगत भूमि का आवंटन तथ्य छिपाकर व विधि विरूद्ध प्रक्रिया अपनाते हुए किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश न्यायोचित है, जिसमे किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। उक्त परिपेक्ष्य में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.02.2022 यथावत रखा जाता है।

5– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 05.01.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर